सं. 38/31/11- पी एंड पीडब्ल्यू (ए) (खंड. IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांक 21 अक्तूबर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वर्ष 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन- सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों की पेंशन में संशोधन के लिए प्रैक्टिस-बंदी भत्ते (एनपीए) का दिनांक 1.1.1996 से समावेश।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 14 अक्तूबर, 2014 के समसख्यंक कार्यालय ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां समेकित पेंशन/ कुटुंब पेंशन को दिनांक 11.5.2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/86/97-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) के साथ पठित दिनांक 17.12.1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/10/98-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) के अनुसार न्यूनतम संशोधित वेतनमान के क्रमश: 50 प्रतिशत/ 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था, वर्ष 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों के मामले में वर्ष 1996 से पूर्व वेतनमान, जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ है, के संगत दिनांक 1.1.1996 को न्यूनतम संशोधित वेतनमान में 25 प्रतिशत की दर से एनपीए शामिल किया जाएगा ।

2. पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के बाद, वर्ष 1996 से देय अधिकतम पेंशन, केन्द्रीय सरकार पर लागू अधिकतम वेतन अर्थात् 15,000/- रूपए का 50 प्रतिशत थी। तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 14.10.2014 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार देय अधिकतम पेंशन भी दिनांक 1.1.1996 से 30,000/- का 50 प्रतिशत अर्थात् 15000/- रूपए होगी। दिनांक 14.10.2014 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप 1996 के पूर्व सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों की पेंशन में संशोधन करते समय इसका ध्यान रखा जाए।

तृप्ति घोष

(तृप्ति पी. घोष)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक/ रक्षा लेखा महानियंत्रक के कार्यालय